

उत्तर प्रदेश शासन,
किंकिता अनुभाग ७,
संख्या: ३००९ /५-९-२००२-४१७४।/९४टीसी,
लखमऊ: दिनांक: २९ जुलाई, २००२।

कामलिय-इति

भारत सरकार द्वारा भारित इंसब पूर्व निदान तकनीक । विनियमन
एवं दुरूपयोग निवारण। अधिनियम 1994 की धारा 17।2। एवं 17।5। के
अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं
दिनांक 1-1-1996 से प्रवृत्त नियमों के क्रम में उठ प्र० सरकार द्वारा जारी
अधिसूचना संख्या: जी 366।2।/5-9-96-6।74।/94टीसी दिनांक 14 अगस्त,
2001 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्टक्रिया सेवा, चिकित्सा सेवाएँ,
के स्वस्थ सुचित प्राधिकारी। एंड प्रिस्ट अधारिटी। एवं "सलाहकार समिति"
का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

उक्त समुचित धार्थिकारी को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित होगी और समुचित धार्थिकारी सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष नामित करेंगे। सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- 11। बरिछठ विशेषज्ञ, आबटेंट्रिक्स एण्ड गायनोकोलांजी विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ। - सदस्य

12। बरिछठ विशेषज्ञ, बैडियाट्रिक्स विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ। - सदस्य

13। बरिछठ विशेषज्ञ, पैथोलांजी विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ। - सदस्य

14। अफिकारी। विधि प्रकोष्ठ।, हेड क्वार्टर, सेण्ट्रल कमाण्ड अफिक्ट - सदस्य

15। सूयना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तार प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि - सदस्य

16। अध्यक्ष, लोकल आमी ^{वृक्ष} वेलफेर एसोसिएशन, लखनऊ - सदस्य

17। सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, लखनऊ। - सदस्य

18। अध्यक्ष, रोटरी क्लब, लखनऊ। - सदस्य

‘समुक्ति प्राप्तिकारी’ के निर्देशानुसार वैठक आहुता की जायेगी तथा त्लाह्कार समिति द्वारा सशस्त्र सेना, चिकित्ता सेवाये का पर्याकरण, निरस्तीकरण

निलम्बन, शिक्षायतों का निराकरण तथा सत्सम्बन्धी सलाह अध्या निर्देश दिये जाने का कार्य किया जाएगा।

“समुचित प्राधिकारी” द्वारा निम्नलिखित कार्यादी की जायेगी :-

11। जेनेटिक सलाहकार केन्द्र, जेनेटिक प्रयोगशाला अध्या जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण करना, निलम्बन तथा निरस्त करना।

12। जेनेटिक सलाहकार केन्द्र, जेनेटिक क्लीनिक तथा जेनेटिक प्रयोगशाला हेतु निर्धारित मानकों का छियान्वयन कराया जाना।

13। ब्रीनेटल सेक्टर डिटमिनेशन, ब्रीवेंशन आफ भिस घूज अधिनियम की शिक्षायतों पर जाँच एवं अधिनियम का उल्लंघन पर तुरन्त कार्यादी किया जाना।

सलाहकार संगिति की बैठक हर दो माह में की जायेगी।

८०

। जे० पर० इम० ।
सचिव ।

संख्या: ११/५-२-२००२ तदृदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यादी हेतु प्रेषितः-

1। संचिव, स्वास्थ्य एवं पृष्ठिकार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2। महानिर्देशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०४०, लखनऊ।

3। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4। समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5। महानिर्देशक, परिपार कल्याण, ३०४०, लखनऊ को, इस आश्रम से प्राप्ति कि वे कृपया राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में अपने किसी अधिकारी को भेजकर इसका प्रकाशन असाधारण गजट में तत्काल सुनिश्चित करें।

6। वरिष्ठ विशेषज्ञ, आबटेंट्रिक एण्ड गायनोकोलांजी विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ।

7। वरिष्ठ विशेषज्ञ, पैडियाट्रिक विभाग, कमाण्ड हास्पिटल, लखनऊ।

8। अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, हेड क्वार्टर, सेण्ड्रल कमाण्ड, लखनऊ।

9। सूचना एवं जनसम्बन्धी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।

10। अध्यक्ष, लोकल आमी विकास वेलफेर सोसायेटी, लखनऊ।

11। सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, लखनऊ।

12। अध्यक्ष, रोटरी क्लब, लखनऊ।

आदा से,

। राजा राम उषाध्याय
विशेषज्ञ सचिव ।